कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 01.08.2019

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य।

थाना सेक्टर 20

फर्जी लोन देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली कम्पनी के 5 अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद गौतमबुद्धनगर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 बलजीत सिंह एवं टीम द्वारा बी–24 सेक्टर–2 नोएडा से दिनांक 31/07/2019 को फर्जी लोन/नोकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये लोग लोन/ नोकरी देने के नाम पर पूरे भारतवर्ष में कॉल करके फाईल चार्ज व अन्य खर्चा बताकर लोगो से अपनी कम्पनी के करन्ट अकाउन्ट में पैसा डलवाकर लोगो को ठगते थे, इस सम्बन्ध में थाना सैक्टर 20 नोएड़ा पर मु0अ0स0 961/2019 धारा 420, 406 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है जिसमें 5 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

अपराध करने का तरीका–

अभियुक्तगण दवारा quikr-com से बेरोजगार व्यक्तियों का डेटा खरीदकर उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर काल कर नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को अपनी कम्पनी में नौकरी दिलाने का आफर लेटर देकर उन्हें उनके जानने वालों का लोन कराने का टारगेट देकर लोन के नाम पर विभिन्न स्कीम (पर्सनल लोन, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, गोल्ड लोन आदि) बताकर, कम्प्यूटर से फर्जी स्लिप तैयार कर पीडितों को दी जाती थी तथा धानी बिजनेस सोल्यूशन के नाम पर खुलवाये गये खातों में पैसा डलवा कर धोखाधडी की जाती थी। जिन व्यक्तियों को नौकरी पर रखने को कहा जाता था उन्हें ना ही तनख्वाह तथा ना ही अपना पता बताया जाता था। अभियुक्तगण के दवारा विगत दो माह में देश के विभिन्न राज्यो के सैकड़ो व्यक्तियो से लाखों रूपयो की ठगी की गयी है। अपराध से पीडित व्यक्ति सौरभ सिंह पुत्र श्यामसिंह निवासी वाराणसी मौके पर अपनी शिकायत लेकर मौजूद था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. फरमान चौहान पुत्र जफर चौहान निवासी ग्राम रसूलपुर औरंगाबाद थाना भावनपुर, मेरठ।
2. तजीमुल पुत्र गुलजार निवासी ग्राम रसूलपुर औरंगाबाद थाना भावनपुर, मेरठ।
3. इरफान पुत्र असलम निवासी सरना रोड पीर वाली गली मुरादनगर गाजियाबाद।
4. राधा सिंह पुत्री सुशील कुमार निवासी 24ध196 त्रिलोकपुरी दिल्ली।
5. पूजा यादव पुत्री शिवकुमार यादव निवासी बी–1173 गली न.–6 अशोक नगर शहादरा दिल्ली।

बरामदगी का विवरण

1. एक कम्पयूटर सीपीयू मयमानीटर मय कीबोर्ड
2. 12 अदद मोबाइल फोन
3. कालिंग डाटा सीट, रजिस्टर

4. फर्जी आफर लैटर
5. कम्पनी की चार अदद मोहरें

पीडित जो अपनी शिकायते लेकर उक्त डीएसए पर मौजूद थे–
1–सौरभ सिंह पुत्र श्याम नारायण सिंह निवासी घौसिला पोस्ट सेवापुरी थाना कपसेठी जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश।

थाना फेस–3

दिनांक 01.08.2019 को थाना फेस–3 पुलिस द्वारा 03 शातिर लूटेरे अभियुक्तो को दौराने चैकिंग सेक्टर 65 सी ब्लाक की ओर से 1. धीरज उर्फ धीर सिह उर्फ सरपंच 2.जितेन्द्रचौधरी 3. आकाश उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 16 अदद मोबाईल व एक पर्स व 900 रुपये तथा एक अदद तंमचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व दो नाजायज चाकू बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे है जिनके द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि दोनो मिलकर एनसीआर क्षेत्र मे मोबाईल छीनेने/लूटने की घटना करते है

गिरफ्तार अभियक्तो का विवरणः–

1. धीरज उर्फ धीर सिह उर्फ सरपंचपुत्र श्री ज्ञान सिहं निवासी ग्राम बहोने कोटला थाना पालीमुकीमपुर जिला अलीगढ़ हाल पता छलेरा गली नं0 3 राजू चौहान का मकान नोएडा
2. जितेन्द्र चौधरी पुत्र सुखवीर सिहं निवासी ग्राम दुर्रा प्रेमनगर थाना अतरौली जिला अलीगढ़ हाल पता किराये का कुम्हारी का मकान गली नं0 पुराना कोण्डली दिल्ली
3. आकाशउर्फ बिल्ला पुत्र विजय सिहं निवासी ग्राम जलाली थाना हरदुआगंज जिला अलीगढ़ हाल पता गली नं0 0 पुरानी कोण्डली मं0 नं0 ए 4k2 दिल्ली

बरामदगी का विवरणः–
1. 16 अदद मोबाईल
2. एक पर्स व 900 रुपये
3. एक अदद तंमचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व दो नाजायज चाकू

आपराधिक इतिहासः–

1.मु0अ0सं0904/19 धारा 411/414भादवि थाना फेस–3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 905/19धारा 3/25 ए एक्ट थाना फेस–3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
3.मु0अ0सं0 906/19 धारा 4/25 ए एक्ट थाना फेस–3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 907/19 धारा 4/25ए एक्ट थाना फेस–3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 886/19 धारा 392 भादवि थाना फेस–3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 887/19 धारा 392 भादवि थाना फेस–3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 776/19 धारा 379 भादवि भादवि थाना फेस–3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

थाना फेस–3

पुलिस मुठभेड के उपरांत 25 हजार रूपये का हत्यारा/लुटेरा इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.08.2019 थाना फेस–3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर किस्म का ईनामी/हत्यारा/वांछित अपराधी पुलिस मुठभेड के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार तथा कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद मो0सा0 पैशन प्रो नम्बर यूपी 16ए जेड 6386 बरामद की गई।

दिनांक 01.08.2019 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा मो0सा0 पैशन प्रो नम्बर यूपी 16ए जेड 6386 पर सवार एक शातिर 25 हजार का ईनामी/हत्यारा/वांछित अपराधी अनिल उर्फ पड़ाका पुत्र राकेश निवासी कांशीराम आवासीय कॉलोनी थाना कोतवाली हाथरस जनपद हाथरस को बाद पुलिस मुठभेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पुस्ता की ओर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अनिल उर्फ पड़ाका पुत्र राकेश उपरोक्त मुठभेड के दौरान गोली लगने के कारण घायल हो गया जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व भारी मात्रा में कारतूस व एक अदद मो0सा0 पैशन प्रो बरामद की गयी है तथा साथी सोनू धोबी मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त अनिल उर्फ पड़ाका पुत्र राकेश थाना हाजा के मु0अ0सं0 1128/17 धारा 302/394 भादवि व मु0अ0सं0 769/18 धारा 302/394/411 भादवि का वांछित अपराधी है। अभियुक्त अनिल उर्फ पड़ाका पुत्र राकेश उपरोक्त 25 हजार का ईनामी अपराधी है। उपरोक्त पुलिस मुठभेड की घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 902/19 धारा 307/411 भादवि व बरामदा तमंचे एंव कारतूस के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 903/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो आम जनता के साथ अवैध शस्त्रो के बल पर लूटपाट जैसा जघन्य अपराध कारित करता है। बरामदगी का विस्तृत विवरण निम्नवत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. अनिल उर्फ पड़ाका पुत्र पुत्र राकेश निवासी कांशीराम आवासीय कॉलोनी थाना कोतवाली हाथरस जनपद हाथरस

फरार अभियुक्त का विवरणः

1. सोनी धोबी निवासी चोटपुर कालोनी थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरणः–

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद
2. एक अदद मो0सा0 पैशन प्रो नंबर यूपी 16ए जेड 6386।

आपराधिक इतिहास का विवरणः–

1. मु.अ.सं 1128/17 धारा 302/394 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर
2. मु.अ.सं. 769/18 धारा 394/302/411 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतम बुध नगर
3. मु.अ.सं. 633/18 धारा 392/411 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतम बुध नगर
4. मु.अ.सं. 666/18 धारा 392/411 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतम बुध नगर
5. मु.अ.सं. 380/13 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 58 नोएडा जनपद गौतम बुध नगर
6. मु.अ.सं. 20/19 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद
7. मु.अ.सं. 902/19 धारा 307/411 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतम बुध नगर
8. मु.अ.सं. 903/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतम बुध नगर

9. मु.अ.सं. 216 / 17 धारा 380 / 411 भादवि थाना कोतवाली जनपद हाथरस

फेस–2

पुलिस मुठभेड के उपरांत हत्या के प्रयास मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.08.2019 को प्रातः करीब 04:55 बजे थाना फेज–2 पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ मे दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनके पास से एक बिना नम्बर की अपाचे मोटरसाइकिल, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 04 अदद खोखा व एक जिंदा कारतूस मेगजीन मे 01 अन्य मैगजीन मे 05 जिंदा कारतूस, 01 तमंचा 315 बोर मय 03 खोखा कारतूस व 06 जिंदा कारतूस व एक पिट्ठू बैग जिसमे अभियुक्त आकाश के डीएल व आधार कार्ड है व 1750 रूपये नकद बरामद हुये हैं ।

घटना का विवरण

दिनांक 24 / 7 / 2019 को रात्रि करीब 08.20 बजे श्री सुमित खारी निवासी इलाबास के शक्ति इन्कलेव ग्राम सलारपुर खादर स्थित गिट्टी व शटरिंग के कार्यालय पर बिना नम्बर की सफेद अपाचे मोटर साईकिल सवारो द्वारा ऑफिस पर मौजूद कर्मचारी राजकुमार उम्र करीब 16 वर्ष निवासी हमीरपुर पर जान लेवा हमला किया गया था जिसमे राजकुमार के बांयी तरफ पेट मे गोली लगी थी ओर वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था। इस सम्बन्ध मे थाना फेस–2 पर मु0अ0स0 542 / 19 धारा 307 भादवि0 बनाम अज्ञात 24.07.2019..दर्ज किया गया था। उक्त घटना को दिल्ली जेल मे बन्द बिल्लू पुत्र जगदीश निवासी खेडा दुजाना थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर व साहिल पुत्र जहीर निवासी सलारपुर थाना सै0 39 गौतमबुद्धनगर के द्वारा षडयन्त्र रचकर भाडे के शूटर आकाश निवासी बागपत व रवि निवासी करावलनगर नई दिल्ली को बुलवाकर करवाई गयी थी तथा इस काम के लिये बिल्लू ने उक्त दोनो व्यक्तियो को रकम दी थी । इन दोनो शूटरों के फोटो सुमित खारी के कार्यालय मे लगे सीसीटीवी कैमरे मे भी कैद हो गये थे। विवेचना के दौरान मुकदमे मे धारा 120 बी भादवि की बढोत्तरी की गयी थी। चूंकि इनका मुख्य निशाना सुमित खारी था। अतः साहिल तथा जेल मे बन्द बिल्लू ने कल दिनांक 31 / 7 / 2019 को पुनः आकाश व रवि को सुमित खारी की हत्या करने हेतु भेजा था। आज प्रातः मुखविर की सूचना पर घटना के षडयंत्र मे शामिल अभियुक्त साहिल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ मे खुलासा हुआ कि उक्त दोनो भाडे के हत्यारे विगत रात्रि मे ही ग्राम इलाबास के आस पास सुमित को निशाना बनाने के लिए आ चुके है।

पुलिस मुठभेड मे घायल भाडे के शूटरों ने दिनांक 14.7.2019 को सबसे पहले आकर घटनास्थल की रैकी की तथा उसके बाद दिनांक 24.7.19 को घटना को अन्जाम देने हेतु सुमित खारी के कार्यालय पर पहुंचे तथा वहाँ पर मौजूद कर्मचारी राजकुमार को गोली मारी परन्तु इनका मुख्य निशाना सुमित खारी था। अतः पुनः दिनांक 31.7.2019 को दिल्ली जेल मे बन्द अपराधी बिल्लू के कहने पर साहिल के साथ मिलकर ग्राम इलाबास मे रात्रि मे सुमित खारी के घर की रैकी की गयी तथा गाँव के आस पास इस आशय से घूम रहे थे कि जैसे ही सुमित खारी बाहर निकलेगा ,उसकी हत्या कर दी जायेगी। दिनांक 24. 7.2019 की घटना के एवज मे उपरोक्त शूटरों के खाते मे 40 हजार रूपये बिल्लू द्वारा ट्रांसफर कराये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1) आकाश पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम लोहड्डा थाना बड़ौत जिला बागपत

2) रवि पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम थोरा थाना जेवर , हाल निवासी करावलनगर नई दिल्ली

3. साहिल पुत्र जहीर निवासी सलारपुर थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः–

1. एक अदद अपाचे मोटर साईकिल बिना नम्बर

2. एक अदद पिस्टल 32 बोर मय 4 अदद खोखा व 1 अदद जिन्दा कारतूस मैगजीन मे तथा 1 अन्य मैगजीन मे 5 अदद जिन्दा कारतूस
3. एक अदद 315 बोर तमन्चा मय 3 अदद खोखा कारतूस मय 6 अदद जिन्दा कारतूस
4. एक अदद पिठ्ठू बैग जिसमे अभि0 की आकाश का डीएल व आधार कार्ड तथा 1750 रूपये नगद

अभियुक्तो पर दर्ज अभियोगो का विवरणः–

1. मु0अ0सं0 542/2019 धारा 307/120बी भादवि थाना फेस 2 नोएडा।
2. मु0अ0सं0 580/2019 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना फेस 2 नोएडा।
3. मु0अ0सं0 581/2019 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2 नोएडा।
4. मु0अ0सं0 582/2019 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2 नोएडा।

थाना फेस–2

11 वर्षो से डबल मर्डर केस मे 50,000 रूपये का वांछित इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 01.08.2019 को थाना फेस–2 पुलिस द्वारा सेक्टर 82 रेड लाइट के पास से डबल मर्डर केस मे 11 वर्षो से वांछित चल रहे 50 हजार रूपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरणः

दिनांक 07.08.2008 को ग्राम नया गांव मे किराये पर रहने वाली सुलेखा पत्नी रमन चौधरी व रूपराम पुत्र भगवानदास निवासी थाना कुंवर गांव जिला बदांयू की अवैध सम्बन्धो के चलते वांछित इनामी अभियुक्त रमन चौधरी पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम मईलाम थाना अन्धाठारी जिला मधुबनी बिहार द्वारा चाकुओ से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध मे मकान मालिक श्री जितेन्द्र नागर निवासी नया गांव द्वारा मृतका सुलेखा के पति रमन चौधरी के विरूद्ध थाना फेस–2 पर मु0अ0स0 435/2008 धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था, उक्त अभियोग मे दिनांक 16.12.2008 को अभियुक्त के विरूद्ध मफरूरी मे धारा 83 सीआरपीसी की कार्यवाही भी की जा चुकी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 50 हजार रूपये का इनाम घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

.रमन चौधरी पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम मईलाम थाना अन्धाठारी जिला मधुबनी बिहार

अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 435/08 धारा 302 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फेस–2 जिला गौतमबुद्धनगर।